निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 39/2022
दायरा दिनांकः—01.06.2022
निर्णय दिनांकः— 24.12.24

उनवान

1. जमनालाल आयु 45 वर्ष पुत्र कमलाबाई पत्नी रामलाल
2 राजेन्द्र कुमार आयु 42 वर्ष पुत्र कमलाबाई पत्नी रामलाल
3. गोकुल आयु 40 वर्ष पुत्र कमलाबाई पत्नी रामलाल
4. ललित कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र कमलाबाई पत्नी रामलाल
5. ममता आयु 38 वर्ष पुत्री कमलाबाई पत्नी रामलाल
6. सुलोचना आयु 33 वर्ष पुत्री कमलाबाई पत्नी रामलाल जाति मालव धाकड़ निवासी ग्राम चांचोड़ा तहसील छबडा जिला बारा (राज०) प्रार्थीगण

बनाम

1. धन्नालाल आयु 62 वर्ष पुत्र रामचंद्र निवासी मोनू के पेट्रोल पम्प के पीछे छबड़ा जिला बारां (राज०)
2. घनश्याम आयु 35 वर्ष पुत्र रामचंद्र
3. सत्यनारायण आयु 32 वर्ष पुत्र रामचंद्र
4. महावीर आयु 30 वर्ष पुत्र छीतरलाल
5. रामभरोसी आयु 60 वर्ष पत्नी छीतरलाल जातियान मीणा निवासी चांचोडा
6. दुष्यंत आयु 25 वर्ष पुत्र बृजमोहन जाति मीणा निवासी हिलव्यू कालोनी छबड़ा
7. रामदयाल आयु 64 वर्ष पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी चांचोड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 24.12.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री कृष्ण गोपाल भार्गव — प्रार्थी
2. श्री नारायणलाल चौरसिया— अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम चांचोड़ा तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 945 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा प्रार्थीगण के खाते व कब्जे कारत में स्थित चली आ रही है। प्रार्थीगण की भूमि की मेड से दक्षिण की चोर लगवां अप्रार्थी कम 1 ता 6 के खाते की भूमि खसरा नंबर 946/1 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा वाके माल चांचोड़ा में स्थित है। उक्त दोनों भूमियात पास में स्थित होने व प्रार्थीगण व

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

र्थीगण की एक ही मेड होने से अप्रार्थीगण 1 ता 6 प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे है। अप्रार्थीगण । ता 6 आए दिन प्राथर्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 945 की दक्षिणी मेड को तोड़कर आपने खाते की भूमि में मिलाना चाहते हैं। जिसका अप्रार्थीगण 1 ता 6 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के व्यति प्रार्थीगण ओ०बी०सी० के होने से प्रार्थीगण पर धारा 3 एससी–एसटी एक्ट का झूठा मुकदमा लगाने की धमकी देते हैं और जब भी प्रार्थीगण खेत पर जाते है तो अप्रार्थीगण के साथ गाली–गलौच कर मारने की धमकी देते। अप्रार्थीगण 1 ता 6 उनके खाते एवं प्रार्थीगण के खाते की भूमि पर जबरन कब्जा कर अपनी भूमि में मिलाकर अपनी भूमि के साथ प्रार्थीगण की भूमि का भी अप्रार्थी क्रम 7 को विक्रय करना चाहतें है। जिसका अप्रार्थीगण 1 ता 6 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण ने यदि जबरदस्ती प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 945 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम चांचोड़ा पर जबरदस्ती बलपूर्वक कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति उठानी पड़ेगी। जिसकी पूर्ति धन से संभव नहीं हो सकेगी। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 945 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो वाद/प्रार्थना पत्र की नोईत पलट जाएगी और प्रार्थीगण को अनैकानेक वाद–विवादों में उलझना पड़ेगा। जिसमें मानसिक व आर्थिक संताप झेलना पड़ेगा। वाद कारण दिनांक 22.05.2022 को पैदा हुआ, जब अप्रार्थीगण ट्रेक्टर लेकर प्रार्थीगण की भूमि पर आए और प्रार्थीगण की भूमि की दक्षिणी मेड़ को अपनी भूमि में मिलाकर खसरा नंबर 945 पर कब्जा करने लगे, तब प्रार्थीगण ने बमुश्किल उनको रोका तो प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी गई कि दिनांक 30.05.2022 को हम आदमी लेकर आएंगे और तुम्हारी जमीन पर कब्जा करके रहेंगे। दिनांक 30.05.2022 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने का पुनः प्रयास किया। तब प्रार्थीगण द्वारा बमुश्किल अप्रार्थीगण को रोका। तब अंतिम रूप से वाद कारण दिनांक 30.05.2022 को उत्पन्न हुआ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 बवजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी क्रम 6 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम चांचोडा नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 64 पेश की गई अप्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 71 नकल रजिस्टर्ड विक्रय प. दिनांक 27.06.2022 नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 330 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम चांचोडा नकल नक्शा ट्रेस ग्राम चांचोडा नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 65 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चांचोडा तहसील छबडा में स्थित है जो प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है प्रार्थीगण की भूमि की मेड से दक्षिण तरफ लगवा अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 की भूमि खसरा नम्बर 946/1 स्थित है दोनो भूमिया पास में स्थित होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि की मेड एक ही होने से अप्रार्थीगण प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ादा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि की मेंड तोड कर अपनी भूमि में मिलाना चाहतें । जिसका कोई कानूनी अधिकार नही है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी क्रम 6 के खाता संख्या 71 में 1/3 हिस्सा दर्ज है अप्रार्थी क्रम 6 ने खातेदार नन्दा से खरीद कर हिस्सा 1/3 पर कब्जा प्राप्त किया है प्रार्थीगण उक्त आराजी खाता संख्या 71 के खातेदार नन्दा से खरीदना चाहतें थें किन्तु खातेदार नन्दा ने प्रार्थीगण को भूमि का बेचान नही किया तो प्रार्थीगण ले अपने खातेदारी की आड में अप्रार्थी की मेड तोड कर जबरन कब्जा करना चाहतें है अप्रार्थी क्रम 6 को प्रार्थीगण की भूमि से कोई लेना देना नही है प्रार्थीगण स्वंय अप्रार्थी क्रम 6 के खातेदारी की भूमि की मेड तोड कर कब्जा करना चाहतें है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा सम्वत् 2075–2078 खाता संख्या 64 के अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज। नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 330 में अप्रार्थी क्रम 6 का 1/3 हिस्सा दर्ज है नकल नक्शा ट्रेस ग्राम चांचोडा खसरा नम्बर 945 एवं खसरा नम्बर 946/1 दोनो की एक ही मेड है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद का मामला है जिसमें उभय पक्षकार सीमा ज्ञान करवाकर हल करने हेतु स्वतंत्र है जो एक पृथक प्रक्रिया है। प्रथम दृष्टया न्यायालय में स्थगन आदेश पारित करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, छबडा